नियम 76 : अपील अधिकरण द्वारा विशेष प्राधिकृत प्रतिनिधियों का पैनल बनाना

(1) अपील अधिकरण, अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में सहायता करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों या मूल्यांकनकर्ताओं या ऐसे अन्य विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार कर सकेगा, जिनकी अपील अधिकरण को आवश्यकता हो।

(2) अपील अधिकरण, उपनियम (1) के अधीन पैनल में से किसी भी व्यक्ति को, यदि आवश्यक हो, न्यायपीठ के समक्ष कार्यवाही में सहायता के लिए बुला सकेगा।

(3) ऐसे व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक और अन्य भत्ते और स्वीकार्य मुआवजा अपील अधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट किया जाएगा।